न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 05/2022
जीसीएमएस ऑनलाईन नम्बर 2022/7
निर्णय दिनांक: 16.02.2022

लालचन्द पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी जैतासर तहसील श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर

—प्रार्थी—

—बनाम:—

1. अनाराम 2. वीरवलराम 3. भगवानाराम	पुत्रगण हीराराम	जाति जाट निवासी जैतासर निवासी जैतासर तहसील श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर
4. केशर 5. वरजी 6. मीरा 7. शारदा 8. सन्तोष	पुत्रियां हीराराम	
9. हीरादेवी पत्नि हीराराम		
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ		

—अप्रार्थीगण—

उपस्थिति:—

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक वादी
2. श्री राजूराम वाना अभिभाषक प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनिययम

यह वाद लालचन्द ने जरिये अधिवक्ता मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 एक ही परिवार के सदस्य है जिनके आपसी सम्बन्धों का खुलासा निम्न प्रकार से है :—

हीराराम

हीरादेवी लालचन्द वीरवलराम भगवानाराम अनाराम केशर मीरा शारदा सन्तोष
(पत्नि) (पुत्र) (पुत्र) (पुत्र) (पुत्र) (पुत्री) (पुत्री) (पुत्री) (पुत्री)

यह है कि वादी एवं प्रतिवादी के विरास्तन विरास्तन के खेत खसरा नंबर 115 तादादी 6.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122 तादादी 10.4700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121 तादादी 6.0200 हैक्टेयर रोही जैतासर, खसरा नम्बर 241 तादादी 5.0600 हैक्टेयर रोही उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। वादगत खेतों का आपसी पारिवारिक विभाजन में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 निम्न अनुसार हिस्से पांती में आये हुए है तब से लगातार प्रार्थी का कब्जा—काश्त एवं उपयोग उपभोग शान्तिपूर्वक चला आ रहा है:—

क्रस.	नाम	रोही	खसरा नम्बर	तादादी (है.में)	हिस्सा (है.में)	विशेष टिप्पणी
1	लालचन्द	जैतासर	122	10.4700	3.4600	उतरी
		उदरासर	241	5.0600	3.5400	पश्चिमी
		कुल	2		7.00	
2	अनाराम	जैतासर	122	10.4700	7.01	दक्षिणी
		कुल	1		7.01	
3	भगवानाराम	जैतासर	115	6.4800	6.4800	सम्पूर्ण
		उदरासर	241	5.0600	0.5300	पूर्वी
		कुल	2		7.01	
4.	वीरवलराम	जैतासर	121	6.0200	6.0200	सम्पूर्ण
		उदरासर	241	5.0600	0.9900	मध्य पूर्वी
		कुल	2		7.0100	

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:18:33 IST
Reason: SelfAttested

यह है कि वादी उक्त खसरा नंबर 115 तादादी 6.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122 तादादी 10.4700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121 तादादी 6.0200 हैक्टेयर रोही जैतासर, खसरा नम्बर 241 तादादी 5.0600 हैक्टेयर रोही उदरासर में स्थित अपने हक हिस्से की भूमि की घोषणा विभाजन करवाना चाहता है एवं इसी अनुसार वादी ने अपनी खातेदारी हिस्सा की कब्जा–काश्त की भूमि पर सुधार कार्य करवाकर उपजाऊ बना रखी है। तथा मेढ़ कर रखी है परन्तु भूमि का विधिवत् रूप से विभाजन नहीं होने के कारण वादी को अपने हिस्से की कृषि भूमि से सम्बधित हर तरह कार्य करवाने एवं बैंक से ऋण लेने में कई तरीके की कठिनाई आती है। वादी ने प्रतिवादी से वादगत खेतों के खातेदारी घोषणा एवं विभाजन वावत निवेदन किया तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से दिनांक 18.12.2021 को स्पष्ट इनकार कर दिया। इसलिए वादी प्रतिवादी के विरूद्ध घोषणा, विभाजन एवं चिरनिषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 18.12.2021 को वादगत खेतों की घोषणा एवं विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इनकार हो गये। और वादी को धमकिया दी कि वादगत खेतों में हमारे खातेदारी दर्ज है हमारे नाम है। हम वादगत को में से तुम्हे बेदखल कर देगे एवं वादगत खेतों को किसी अन्य शख्स को विक्रय कर देगे। वादगत खेतों में वादी का कब्जा काश्त होने एवं वादी व प्रतिवादी का संयुक्त खातेदारी के होने व प्रतिवादी द्वारा दिनांक 18.12.2021 की इनकारी से वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध वादाधार व वाद हेतु हासिल है। वादगत भूमि में हक वादी का कब्जा काश्त होंने से आपसी पारिवारिक विभाजन के मुताबिक बनता है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 वहकावे में आये हुए है तथा उपरवर्णित खेतों में आये हुए वादी के हक हिस्से से जबरदस्ती बेदखल करने व कब्जा छुडाने व विक्रय हस्तान्तरण करने की दिनाँक 18.12.2021 को धमकी दी और प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने कहा कि खेत खसरान हमारे नाम है हमारे खातेदारी दर्ज है इसलिए इस खेतों में हम तुम्हे घुसने नही देंगे। और इन खेतों के रकबे को किसी शख्स को अच्छी कीमत में विक्रय कर देंगे तब वादी ने दिनाँक 18.12.2021 को ही प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 से वादी के हिस्से की भूमि की घोषणा कराने तथा किसी तरह की मदाखलत नहीं करने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ऐसा करने से साफ ईन्कार हो गये और धमकी दी तुम्हें वादगत खेतों में से एक बिस्वा भी भूमि नही देगे और खेतों से बेदखल कर देंगे व खेत को विक्रय कर देगे इसलिए वादी को दिनाँक 18.12.2021 को प्रतिवादी के विरुद्ध घोषणा, खाता विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा का वाद हेतु (कॉज ऑफ एक्शन) उत्पन हो गया है। वादी का वादगत खेतों में कब्जा काश्त, मुखालफाना, आबाद एवं निरन्तर रुप से चला आ रहा है। वादी को अपने कब्जे काश्त की वादगत पैतृक एवं संयुक्त परिवार की कृषि भूमि की खातेदारी की हकुकों का विभाजन करवाना जरुरी हो गया है जिसका कॉज ऑफ एक्शन वादी को दिनाँक 18.12.2021 प्राप्त हो गया है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 वादी के कब्जा काश्त व टाईटल से इन्कार कर रहे है। वादी को वादगत खेतों की कृषि भूमि से बेदखल करने पर आमदा हो रहे है। वादी को वादगत रकवा के हिस्से का हकदार एवं कब्जा–काश्त पिछले 30–35 वर्षो से होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है। अगर प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 द्वारा वादी के खेतों विक्रय कर दिया तो वादी को कभी ना पूरा होने वाला अहम नुकसान होगा जिसकी भरपाई होना संभव नहीं है। वादी उक्त खेतों को शुरु से ही अपने हक हिस्सा में काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने दिनाँक 18.12.2021 को वादी को वादगत पर प्रवेश न करने, कृषि कार्य नही करने तथा प्रतिवादी सख्या 1 ता 9 ने वादगत खेत में जबरदस्ती प्रवेश करने, कब्जा करने व वादगत खेतों को विक्रय करने की धमकियां दी है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 को वादगत खेत में उनके हिस्से की भूमि की खाता विभाजन करवाने तथा किसी प्रकार की दखल न देने बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने साफ इन्कार कर दिया और धमकिया दी कि तुमको वादगत खेतों में न तो घुसने देंगे, न ही तुमको हिस्से की भूमि लेने देगे, वादगत खेतों से बेदखल कर विक्रय, बैय, हस्तान्तरण कर देंगे इस प्रकार वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 द्वारा दी गई धमकी की दिनाँक से वाद हेतु प्राप्त है तथा वादगत खेतों में वादी का हिस्सा निहित होने से वादाधार प्राप्त हैं इसलिए वादी द्वारा उक्त दावा घोषणा, विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा के अनुतोष का प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी ने उक्त दावा प्रतिवादी के विरुद्ध घोषणात्मक व विभाजन के अनुतोष का चाहा है। उक्त दावे में प्रतिवादी संख्या 6 के रुप

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:18:33 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार को पक्षकार संयोजित किया गया है। स्टेट को दावा खाता तरमीम के ऑपचारिक पक्षकार बनाया गया है। स्टेट के विरुद्ध कोई अपेक्षित अनुतोष नहीं चाहा गया है। घोषणात्मक के दावे में दावा के अनुतोष में दावा दायरी से दो माह पूर्व जाब्ता दीवानी की धारा 80(1) सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु उक्त दावा अत्यन्त ही अर्जेन्ट नेचर का है। अगर राजस्थान सरकार को दो माह का नोटिस देकर इन्तजार किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 अपने गलत इरादे मे सफल हो जायेगा और दावा का मकसद ही समाप्त हो जायेगा इसलिए दावा दायरी से पूर्व धारा 80(2) सी.पी.सी. की छूट हेतु अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर छूट प्राप्त कर उक्त दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त दावा में राज्य सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया। वादगत खेत रोही बाना एवं केऊ तहसील श्रीडूगरगढ में स्थित है। जो न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। दावा उचित न्याय शुल्क पर समयावधि के भीतर श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न आशय की डिक्री आज्ञप्त फरमाई जावे :–

क.यह है कि वादी को खसरा नंबर 122 तादादी 10.4700 हैक्टेयर रोही जैतासर में से 3.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 241 तादादी 5.0600 हैक्टेयर रोही उदरासर में से 3.5400 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किया जाकर अलग से खाता विभाजन किया जावे व तद्नुसार ही राजस्व रिकार्ड व राजस्व अक्स में तरमीम किया जावे।

ख.यह है कि प्रतिवादी को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावें कि वो वादगत खेत खसरा नंबर 115 तादादी 6.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122 तादादी 10.4700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121 तादादी 6.0200 हैक्टेयर रोही जैतासर, खसरा नम्बर 241 तादादी 5.0600 हैक्टेयर रोही उदरासर तहसील श्रीडूगरगढ़ में वादी के कब्जे काश्त में मदाखलत बैंजा नहीं करें ना करावे उक्त खसरा के किसी भी भाग को विक्रय, रहन, बैय, हस्तान्तरण नहीं करें ना ही ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य करें ना किसी अन्य से करावें जिससे वादी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पडता हो। दौराने दावा मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनायें रखें।

ग.यह है कि प्रतिवादी संख्या 7 को आदेशित किया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नंबर 115 तादादी 6.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122 तादादी 10.4700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121 तादादी 6.0200 हैक्टेयर रोही जैतासर, खसरा नम्बर 241 तादादी 5.0600 हैक्टेयर रोही उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादी के खातेदारी दर्ज कर खाता विभाजन कर अलग से राजस्व रिकार्ड व राजस्व अक्स में संधारण करें। तद्नुसार ही अलग पास बुक जारी कर लगान कायम करें।

घ.यह है कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने दावा हो जावे, वह भी वादी को प्रदान किया जावे।

ड.यह है कि खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 जरिये अधिक्वता उपस्थित होकर इकबालिया राजीनामा पेश किया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। संक्षेप में वादी एवं प्रतिवादीगणों को जरिये राजीनामें से वाद स्वीकार करने में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally Signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:18:33 IST
Reason: SelfAttested

खेत खसरा नम्बर 122 तादादी 10.4700 हैक्टेयर वाकेरोही जैतासर, खेत खसरा नम्बर 241 तादादी 5.0600 हैक्टेयर वाकेरोही उदरासर, खेत खसरा नम्बर 115 तादादी 6.48 हैक्टेयर वाकेरोही जैतासर, खेत खसरा नम्बर 121 तादादी 6.0200 वाकेरोही जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ का वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के निम्न सारणी के अनुसार खाता विभाजन किया जाता है वादगत भूमि वादीगण एवं प्रतिवागणों के खाता विभाजन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें:–

क्रस.	नाम	रोही	खसरा नम्बर	तादादी	हिस्सा	टिप्पणी
1	लालचन्द	जैतासर	122	10.4700	3.4600	उतरी
		उदरासर	241	5.0600	3.5400	पश्चिमी
		कुल	2		7.00	
2	अनाराम	जैतासर	122	10.4700	7.01	दक्षिणी
		कुल	1		7.01	
3	भगवानाराम	जैतासर	115	6.4800	6.4800	सम्पूर्ण
		उदरासर	241	5.0600	0.5300	पूर्वी
		कुल	2		7.01	
4.	बिरबलराम	जैतासर	121	6.0200	6.0200	सम्पूर्ण
		उदरासर	241	5.0600	0.9900	मध्य पूर्वी
		कुल	2		7.0100	

प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 ने अपना हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में छोड दिया है अतः तहसीलदार श्रीडूंगरगढ छोडे गये हिस्से पर नियमानुसार परित्याग पत्र पर स्टाम्प डयूटी वसूल कर खाता विभाजन करे। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2022 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:18:33 IST
Reason: SelfAttested